केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
Baba Gangnath Marg, Munirka
नई दिल्ली, **New Delhi – 110067**

द्वितीय अपील/ Second Appeal/ No.:- CIC/BARCM/A/2025/120095

सचिन गडीकर

.... अपीलकर्ता /Appellant

VERSUS
बनाम

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई, महाराष्ट्र।

...प्रतिवादीगण /Respondent

सुनवाई की तिथि : 27.08.2026

निर्णय की तिथि : 27.08.2026

मुख्य सूचना आयुक्त : राज कुमार गोयल

अपील से प्राकट्य सुसंगत तथ्यः

आरटीआई आवेदन दाखिल करने की तिथि	29.01.2025
सीपीआईओ के जवाब की तिथि	14.02.2025
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.03.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की तिथि	16.04.2025
द्वितीय अपील/शिकायत दाखिल करने की तिथि	19.06.2025

आदेश

तथ्य :

1. अपीलकर्ता ने दिनांक 29.01.2025 के प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचना की मांग की थीः—

"कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालिन ज्ञापन/आय डी नोट न. 2391342/2021/O/o DS (Res-I) दिनांक 10.01.2022, और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा ली गयी विधि राय उत्तर दिनांकित 06/02/2023 कार्यालय संख्या 42011/1/2022-ESTT. (RES-I) PART-1 (विधि

राय का अब तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अब तक सामान्यीकृत कार्यालय ज्ञापन नहीं निकाला गया है)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालन ज्ञापन/आय डी नोट न. 2391342/2021/O/o DS (Res-I) दिनांक 10.01.2022 जो की परमाणु ऊर्जा विभाग को भेजी गयी जिसमे कहा गया है.

"In case has been examined it is stated that responsibility for issue of caste certificate lies with the concerned state or UT government. DoPT has issued instruction to all the state/UT Government, from time to time requesting them to streamlined the process of verification and to ensure completion of such process within a reasonable time, it is also stated that the Hon'ble Supreme Court vise its judgment dated 2 9 1994 in Madhuri patil has laid down detailed guidelines for constitution of committee of officers of the state government of effective verification and scrutiny of the caste certificate D/o Atomic Energy may, accordingly, go ahead with the matter"

(ऊपर दिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के संदर्भ नुसार सभी राज्य कहा गया है ना की सिर्फ महाराष्ट्र राज्य)

विधि राय दिनांक 06.03.2023 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अग्रेषित की गयी है अनुछेद नं. 02, 3(g), 11, 12, 13 एवं 14 नुसार (जिस पर श्री. संजय जैन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया इतना ही लिखा है और इनके हस्ताक्षर ही नहीं पाए गए है.)

सभी राज्य जिस राज्य में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त के दिनांक 02.09.1994 फैसले नुसार अधिनियम बने हो उनके जाति प्रमाणपत्र भी छानबीन समिति से सत्यापन कराये जैसे तमिलनाडु, कर्नाटिक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, अन्य राज्य ने भी अपने अधिनियम बनाये है जो की आसानी से ऑनलाइन नेट पर उपलब्ध है और काफी कोर्ट केस मैं भी इसका जिक्र है वो भी ऑनलाइन नेट पर उपलब्ध है.

और साथ ही यह कहा गया है की सभी राज्य समानता बनाए रखें और जिस राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त के दिनांक 02.09.1994 फैसले नुसार जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए छानबीन / जाँच समिति और सामाजिक स्थिति के दावे की जांच के लिए अतिरिक्त या संयुक्त सचिव और वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में एक सतर्कता सेल का गठन किया गया हो जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, अन्य राज्य उस राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग केंद्रीय कर्मचारियों के जाती प्रमाणपत्र जांच समिति एव सतर्कता सेल जाँचने के लिए भेजा जाये और इसे एससी/एसटी के कल्याण पर संसदीय समिति द्वारा रिपोर्ट संख्या एससीटीसी संख्या 859 दिनांक: 24.03.2023 पृष्ठ संख्या 26 पर भी कहा गया है।

06.02.2023 के कार्यालय संख्या 42011/1/2022-ESTT. (RES-I)PART-1 विधि राय और परमाणु ऊर्जा विभाग कार्यालय ज्ञापन न. 8/20/2021-एससी (खंड -II)-4159 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग के सभी राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, मिज़ोरम, त्रिपुरा के कार्यरत कर्मचारीयो पर भी लागू होता है. ऊपर बताये गए सभी राज्यों ने जाति प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए जांच समिति एव सतर्कता सेल गठित किया है और कुछ राज्यों ने वैधता प्रमाणपत्र देने के लिए अपने अधिनियम बनाये है.

ऊपर दिए गये संदर्भ नुसार यह बात परमाणु ऊर्जा विभाग ने भी मान्य की है और उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री कार्यालय एव कार्मिक एव प्रशिक्षण विभाग को भी नीचे दिए पत्र नुसार सूचित किया है।

(i) परमाणु ऊर्जा विभाग आईडी नोट संख्या 25/6/2021-एससीएस/10001 दिनांक 26.08.2021,

(ii) परमाणु ऊर्जा विभाग आईडी नोट संख्या 8/20/20-21एससीएस / 11273 दिनांक 30.08.2022

(iii) परमाणु ऊर्जा विभाग आईडी नोट संख्या 8/20-2021/एससीएस/6879 दिनांक 25.5.2022

"मुझे सूचना अधिकार नियम 2005 के 6 (3) तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा नीचे मांगी गयी जानकारी साक्षांकित करके प्रदान की जाए

1) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, मिज़ोरम, त्रिपुरा आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य के कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या

b) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, पंजाब राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य के कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों की भर्ती सिर्फ जाती प्रमाणपत्र के आधार पर की गयी उनकी संख्या

2) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, पंजाब राजस्थान, मिज़ोरम, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य के कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने केंद्रीय कर्मचारियो के जाति प्रमाणपत्र की वैधता राज्य स्तरीय छानबीन / जाँच समिति और सामाजिक स्थिति के दावे की जांच के लिए अतिरिक्त या संयुक्त सचिव और वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता सेल से सत्यापन /वैधता प्रमाणपत्र दिए बिना उन्हें भर्ती किया गया.

3) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, पंजाब राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य के कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने केंद्रीय कर्मचारियो ने जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन राज्य स्तरीय छानबीन / जाँच समिति और सामाजिक स्थिति के दावे की जांच के लिए अतिरिक्त या संयुक्त सचिव और वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता सेल से करने के बाद जाति प्रमाणपत्र का वैधता प्रमाणपत्र प्रशासनिक विभाग को जमा किये.

4) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, पंजाब राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य के कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने केंद्रीय कर्मचारियो के जाती प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए राज्य स्तरीय छानबीन / जाँच समिति और सामाजिक स्थिति

के दावे की जांच के लिए अतिरिक्त या संयुक्त सचिव और वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता सेल को प्रशासनिक विभाग द्वारा भेजे गए है उनकी संख्या (जिल्हा कलेक्टर या मजिस्ट्रेट से प्राप्त सत्यापन की संख्या न दे)

5) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य के कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने केंद्रीय कर्मचारियो के जाती प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए राज्य स्तरीय छानबीन / जाँच समिति और सामाजिक स्थिति के दावे की जांच के लिए अतिरिक्त या संयुक्त सचिव और वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता सेल को प्रशासनिक विभाग द्वारा भेजे गए है और इनमे से कितने जाती प्रमाणपत्र वैध होकर आये उनकी संख्या (जिल्हा कलेक्टर या मजिस्ट्रेट से प्राप्त सत्यापन की संख्या न दे)

6) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, पंजाब राजस्थान, मिज़ोरम, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य के कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने केंद्रीय कर्मचारियो के जाती प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए राज्य स्तरीय छानबीन / जाँच समिति और सामाजिक स्थिति के दावे की जांच के लिए अतिरिक्त या संयुक्त सचिव और वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता सेल को प्रशासनिक विभाग द्वारा भेजे गए है और इनमे से कितने जाती प्रमाणपत्र अवैध होकर आये उनकी संख्या (जिल्हा कलेक्टर या मजिस्ट्रेट से प्राप्त सत्यापन की संख्या न दे)

7) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, पंजाब राजस्थान, मिज़ोरम, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य के कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्र सत्यापन जिल्हा कलेक्टर या मजिस्ट्रेट से प्राप्त हुए उनकी संख्या.

8) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, मिज़ोरम, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य के कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्र सत्यापन सभी राज्य में स्थापित राज्य स्तरीय छानबीन / जाँच समिति और सामाजिक

स्थिति के दावे की जांच के लिए अतिरिक्त या संयुक्त सचिव और वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता सेल सत्यापन वैधता प्रमाणपत्र जमा ना करने के बावजूद उनको प्रमोशन और सेवानिवृत्ति वेतन एव बाकि बेनिफिट दिए गए उनकी संख्या.

9) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य के कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्र सत्यापन सभी राज्य में स्थापित राज्य स्तरीय छानबीन / जाँच समिति और सामाजिक स्थिति के दावे की जांच के लिए अतिरिक्त या संयुक्त सचिव और वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता सेल सत्यापन वैधता प्रमाणपत्र जमा ना करने के वजह से उनको प्रमोशन और सेवानिवृत्ति वेतन एव बाकि बेनिफिट रोके गए उनकी संख्या.

10) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य के कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्र सत्यापन जिल्हा कलेक्टर या मजिस्ट्रेट से सत्यापन न होने के वजह से कितने कर्मचारियों के प्रमोशन और सेवानिवृत्ति वेतन एव बाकि बेनिफिट रोके गए उनकी संख्या.

11) कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, बिहार राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने केंद्रीय कर्मचारियों ने आय प्रमाणपत्र की वैधता प्रमाणपत्र जमा किए बिना उन्हें भर्ती किया उनकी आकडेवारी

12) कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, बिहार राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने केंद्रीय कर्मचारियों ने आय प्रमाणपत्र की वैधता प्रमाणपत्र जमा किए उनकी आकडेवारी. "

2. संचिका में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सीपीआईओ, स्टानली एम0 के0 ने दिनांक 14.12. 2025 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को निम्नलिखित सूचना प्रेषित कीः–

"1-12- मांगी गई जानकारी भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, इस जानकारी के संग्रहण और संकलन से सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों का असंगत रूप से उपयोग होगा और इसलिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के अनुसार यह जानकारी प्रदान करना संभव नहीं है।"

3. प्राप्त जवाब से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील संस्थित की। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 16.04.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित कियाः–

"2. I have called for the records related to the information sought by the applicant from PIO, BARC, Mumbai and found that the query raised in the RTI application dated 04.02.2025 have been replied by the PIO, BARC, Mumbai vide reply No RTI/BARC/2025/02/9880/342 dated 14.02.2025 stating that the information sought is not available in the material form and further collection and collation of the information will disproportionately divert the resources of public Authority and therefore it is not possible to provide the required information as per Section 7(9) of the RTI Act, 2005.

3. The applicant in the appeal dated 06.03.2025 has requested to provide the information in any form as prescribed in the RTI Act, 2005. In this regard it is once again reiterated that the information is not available in the material form. Also Collection and collation of this information will disproportionately divert the resources of Public authority as per Section 7(9) of the RTI Act, 2005 and hence it is not possible to provide the required information. Also, it is observed that the applicant is seeking more or less similar information repeatedly through RTI, Grievances (SC/ST) and various representations. There is no justification for the appellant to go on forum hunting to subvert the relevant provision of the Service Rules.

4. Further, it is informed that the citizen seeking information under the Right to Information (RTI) Act is advised to limit their application below 500 words. In the instant RTI application, the appellant has made voluminous inferences in the queries and direction for disclosure would disproportionately divert the resources of the public authorities.

5. Accordingly, the appeal of Shri Sachin Gadikar stands disposed of. "

4. आयोग को प्रेषित अपने द्वितीय अपील में अपीलकर्ता ने सीपीआईओ पर अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं किए जाने तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता का पक्ष नहीं सुने जाने की शिकायत करते हुए अपेक्षित सूचना प्रदान करवाए जाने की मांग की है। बहरहाल, अपीलकर्ता द्वारा आयोग को प्रेषित द्वितीय अपील की प्रति प्रतिवादी पक्ष को प्रेषित किए जाने का साक्ष्य संचिका में उपलब्ध नहीं है।

5. आयोग द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में सीपीआईओ, स्टानली एस. के. ने दिनांक 13.08. 2026 के अपने लिखित प्रतिवेदन में निम्नलिखित तथ्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया हैः–

"Reference is invited to Hon'ble CIC Notice No. CIC/BARCM/A/2025/120095 dated 29.07.2026 in connection with second appeal submitted by Shri Sachin Gadikar, Maharashtra with regard to Appellant's offline RTI application dated 29.01.2025 (received by PIO on 04.02.2025) (Annexure - 1) seeking certain information regarding details of SC/ST/OBC employees under RTI Act, 2005.

2. Public information Officer, BARC disposed off the application vide reply No. RTI/BARC/2025/02/9880/342 dated 14.02.2024 (Annexure-II).

3. However, the Appellant preferred an offline First Appeal dated 06.03.2025 (received by Appellate Authority on 11.03.2025) (Annexure-III) to the First Appellate Authority, BARC to provide the information.

4. The Appellate Authority vide Appellate Order no. RTI/BARC/2025/02/9880/650 dated 16.04.2025 (Annexure -IV) had observed that PIO, BARC has rightly furnished that the information sought is not available in the material form and further collection and collation of the information will disproportionately divert the resources of Public Authority and therefore it is not possible to provide the required information as per Section 7(9) of the RTI Act, 2005.

5. Further, it was observed that the citizen seeking information under the Right to Information Act is advised to limit their application below 500 words. However, in the instant RTI application, the appellant has made voluminous

inferences in the queries and direction of disclosure would disproportionately divert the resources of the Public Authorities.

6. The Appellant has now preferred a Second Appeal before the Hon'ble Central Information Commission (CIC), stating, inter alia, that the information sought by him is readily available with BARC.

7. In this regard, the following points are respectfully submitted before the Hon'ble CIC for kind consideration:

i) The RTI application submitted by the Appellant is extensive and runs into multiple pages and containing directions for furnishing information in different combinations and formats. The subsequent appeal also contains several pages of submissions and references to various issues. The queries are related to SC/ST/OBC employees, caste certificates, caste validity certificates, verification of certificates, recruitment, promotion, retirement benefits, withholding of benefits, income certificates and related matters across several States, including Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, West Bengal, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat, Odisha, Punjab, Rajasthan, Mizoram, Tripura, Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra.

The Appellant has further sought the information in State-wise and category-wise form and has sought information concerning different stages and circumstances relating to recruitment, verification and service benefits. Thus, the information sought is not confined to one specific record, document or identifiable set of records which can be readily retrieved and furnished.

ii) It is respectfully submitted that, contrary to the assertion of the Appellant, the information sought is not available with BARC in the consolidated, State-wise and category-wise form in which it has been requested.

BARC is a large Central Government organisation having more than 13,000 employees and the personnel and service records of employees are maintained by different Establishment and Recruitment Sections at various constituent

Units/locations of BARC, including Trombay, Kalpakkam, Mysuru, Visakhapatnam and Tarapur. The relevant records are maintained in the ordinary course of administration for individual employees and for specific administrative purposes. There is no single consolidated record or database maintained by BARC containing all the information sought by the Appellant in the precise combinations and classifications requested by him.

iii) For furnishing the information in the form sought, the various Establishment Sections and Recruitment Sections of BARC would necessarily have to identify the relevant records from different locations, examine individual service/recruitment records, determine the relevance of each record to the numerous queries raised by the Appellant, extract the required particulars, correlate the information with the respective categories and States and thereafter compile and arrange the same in the format demanded by the Appellant.

Such an exercise would not amount to merely providing information which is already available in a readily retrievable material form. It would require substantial administrative effort for identification, examination, extraction, correlation and compilation of information from different records and locations.

iv) It is further humbly submitted that, the RTI Act provides a right of access to information which is held by or under the control of a public authority. The Act does not require a CPIO to create a new compilation or database, undertake an extensive research exercise, draw inferences from different records or undertake analysis and correlation of information merely because the underlying records may exist in different files or Sections.

The Hon'ble CIC may kindly appreciate the distinction between "information being available in records" and "the specific information sought being available in a readily retrievable and consolidated form". In the present case, the latter is not available with BARC.

The extensive exercise required to examine and correlate records maintained by different Sections/Units and to prepare a fresh State-wise and category-wise compilation exclusively for the Appellant, would disproportionately divert the administrative resources of the Public Authority. Section 7(9) of the RTI Act may kindly be considered in this context.

v) It is also respectfully submitted that the circumstances surrounding the RTI application indicate that the information sought is closely connected with the Appellant's grievance concerning decisions taken by the Government/competent authorities relating to caste certificate/caste validity verification. The Appellant appears to be seeking, through the RTI mechanism, extensive information concerning the manner in which similar issues have been dealt with in respect of employees in different States and categories.

vi) The RTI Act is a statutory mechanism for obtaining access to information held by a public authority and is distinct from a grievance-redressal or adjudicatory mechanism. The CPIO is not the authority competent to adjudicate upon the correctness of the Government's policy or decision relating to caste verification nor can the RTI mechanism be used to require the Public Authority to undertake an extensive comparative exercise for the purpose of supporting or examining an individual grievance.

8. In view of the foregoing, it is respectfully submitted that the contention of the Appellant that the information sought is "readily available" with BARC may kindly not be accepted merely on the ground that certain underlying employee records exist with the Public Authority. The information in the specific consolidated form sought by the Appellant is not maintained by BARC, and furnishing it would require extensive identification, examination, correlation and compilation of records maintained by different Sections/Units.

9. It is therefore humbly prayed that the Hon'ble CIC may kindly consider the facts and circumstances stated above and uphold the decision/action of the CPIO in the matter and dispose of the Second Appeal accordingly.

10. The above submissions are respectfully placed before the Hon'ble Commission.

11. The undersigned will attend the Hon'ble CIC hearing scheduled on at 27.08.2026 at 11.05 AM through video conference from the designated venue as given in the notice."

6. आयोग द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में अपीलकर्ता ने भी दिनांक 18.08.2026 के पत्र के माध्यम से अपना लिखित पक्ष आयोग को प्रेषित किया है, जिसमें निम्नलिखित तथ्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं:–

"विषय : फाइल संख्या : CIC/BARCM/A/2025/120095 दिनांक 27.07.2026 के अनुसार लिखित जवाब सादर करने के संदर्भ में

मैंने आरटीआई अधिनियम 2005 अंतर्गत दिनांक 29.01.2025 को आवेदन कर कुछ जानकारी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई इनसे माँगी थी और उन्होंने दिनांक 14.02.2023 को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करना संभव नहीं है यह उत्तर दिया जिसपर मैंने असहमत होकर दिनांक 06.03.2025 को प्रथम अपील दाखिल की जिसपर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनाक 16.04.2025 को यह कहकर अपील का निपटारा किया की आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करना संभव नहीं है जिसपर मैंने दिनांक 06.06.2025 को द्वितीय अपील दाखिल की जिसकी सुनवाई दिनाक 28.08.2026 को रखी गयी है साथ ही मुझे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई इनसे दिनांक 17.08.2025 को माननीय, मुख्य सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग इनके समक्ष सादर किया हुआ लिखित जवाब की प्रत ईमेल द्वारा मिल गयी है और उसी संदर्भ में लिखित जवाब सादर कर रहा हु।

1) आरटीआई अधिनियम 2005 धारा 7(9) के अनुसार सूचना देने से मना करने का साधन या अधिकार नहीं है, बल्कि यह केवल उस तरीके के बारे में प्रावधान है जिससे सूचना प्रदान की जानी है। सूचना देने से केवल अधिनियम की धारा 8(1) एवं धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार ही इनकार किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE बनाम आदित्य बंदोपाध्याय (2011) मामले में साफ़ किया कि आरटीआय अधिनियम में "छूट" सीमित हैं -सेक्शन 7(9) कोई छूट नहीं है, बल्कि स्वरूप बताने वाला एक नियम है।

मुकेश सिंघल विरुद्ध सीपीआयओ, आरबीआय निर्णय दिनांक 07.09.2017 में भी यही कहा गया है की आरटीआय एक्ट की धारा 7(9) का इस्तेमाल जानकारी देने से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता

2) मैं माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग इनको यह बताना चाहूंगा की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अन्य इकाइया मैसूर, विज़ाग, और कलपक्कम ने माँगी हुयी जानकारी डाटा शीट और जिस स्वरुप में उपलब्ध है उस स्वरुप में प्रदान की है जिसका उल्लेख मेरे द्वारा द्वितीय अपील में किया गया है। इससे यही जाहिर होता है की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास भी ऐसी डाटा शीट उपलब्ध होगी और परमाणु ऊर्जा विभाग की लगभग 30 से ज्यादा इकाइयों ने भी माँगी हुयी जानकारी प्रदान की है।

3) मेरे द्वारा माँगी गयी जानकारी को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा अपनी खुद की विचारधारा से अलग अर्थ निकालकर शिकायत समझ रहे है और जानकारी प्रदान करने से बच रहे है।

4) मैं माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग इनको यह बताना चाहूंगा की केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई इनके द्वारा यह कहना की स्थापना अनुभाग और भर्ती अनुभाग अलग-अलग स्थापना अनुभाग और भर्ती अनुभाग से जानकारी जमा करनी पड़ेगी और आवेदक द्वारा एकाधिक प्रश्न पूछे गए है। यह कथन योग्य नहीं है।

फादर पी टी उप्राहम विरुद्ध सीबीआय, CIC/WB/A/2007/00821 राजेंद्र सिंह बनाम CBI, और CIC/SM/A/2010/001398/SG में CIC के फैसले में यह साफ किया गया है कि अगर आरटीआय आवेदन का कोर या विषय एक जैसा है, तो आवेदक कई सवाल पूछ सकता है और आवेदन को इस आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि पूछे गए सवाल का विषय एक जैसा है या बहुत सारे सवाल पूछ लिए गए हैं। मेरे द्वारा माँगी गयी जानकारी का विषय एक है।

5) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई यह केंद्र सरकार के आधीन कार्यरत एक जग विख्यात विभाग है जो परमाणु ऊर्जा विभाग के आधीन कार्य करती है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो की केंद्रीय कर्मचारियों की नोडल मिनिस्ट्री है उनके नियम एवं आदेशों का पालन परमाणु ऊर्जा विभाग / भा.प.अ. के. को भी करना होता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार

प्रत्येक केंद्रीय सरकारी कार्यालय में कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी भर्ती की गयी उसका रोस्टर बनाए रखना होता है और साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्र जिल्हा कलेक्टर या मजिस्ट्रेट सत्यापन होकर आये / नहीं आये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्र उनके राज्य में स्थापित राज्य स्तरीय छानबीन / जाँच समिति और सामाजिक स्थिति के दावे की जांच के लिए अतिरिक्त या संयुक्त सचिव और वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता सेल से वैध अवैध हुये एवं अगर वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी पदोन्नति लेता है उसका अभिलेख यह सब प्रशासनिक विभाग के पास सर्विस बुक रूप और इलेक्ट्रॉनिक में रखी गई डेटा सामग्री के रूप (computer) में और डाटा शीट स्वरुप में भी उपलब्ध रहता है और अन्य सभी अभिलेखों की प्रवेश (एंट्री) सर्विस बुक में करता है.

6) परमाणु ऊर्जा के लगभग सभी इकाइयों के प्रशासनिक विभाग द्वारा (प्रशासन और खाता एकीकृत सूचना प्रणाली) विकसित की गयी है जिसमे सभी कर्मचारी अपना डाटा देख सकते है और प्रशासनिक विभाग यह डाटा संभालता है. साथ ही आसानी से प्रशासनिक विभाग के पास सभी डाटा उपलब्ध है साथ ही सर्विस रिकॉर्ड एवं अन्य डाटा भी संगणक में मौजूद होता है।

7) CIC के कई फैसलों में कहा गया है: "आद्यतन मात्रा रिजेक्शन का आधार नहीं हो सकता"

8) एससी/एसटी स्पेशल सेल की बैठक के मिनट्स (संदर्भ संख्या: 6/1/2021/HRD&SR&W/1308, दिनांक: 01.12.2022 और 29.11.2019) के अनुसार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के स्थापना अनुभाग और भर्ती अनुभाग द्वारा मेरे द्वारा माँगी गयी जानकारी डाटा शीट स्वरुप बनाई गयी है और यह डाटा शीट एससी/एसटी स्पेशल सेल के मेंबर और लायसेंस अधिकारी के पास मौजूद है बैठक के मिनट्स की प्रत मैंने द्वितीय अपील में जोड़ी है। मैंने किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं माँगी है। साथ ही जानकारी के संग्रहण और संकलन से सार्वजनिक प्राधिकरण के संसोधनो का असंगत रूप से किस तरह उपयोग होगा इसका स्पष्टीकरण ही केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा नहीं दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेशों के अनुसार माँगी हुयी जानकारी का अभिलेख एवं डाटा शीट बनाना अनिवार्य है।

9) मेरे द्वारा द्वितीय अपील में दिए गए स्पष्टीकरण तथा इस लिखित जवाब के अनुसार में माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग इनसे यही नम्रपूर्वक विनंती करूंगा की माँगी गयी जानकारी डाटा शीट स्वरुप भा.प.अ.के. के सभी स्थापना अनुभाग और भर्ती अनुभाग के संगणक

में उपलब्ध है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई यह मेरे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार जानकारी आसानी से उपलब्ध करा सकते है । आरटीआय अधिनियम 2005 की धारा 2(f) और 22 नुसार और पारदर्शी प्रशासनिक कामकाज के लिए मुझे माँगी गयी जानकारी जिस स्वरुप में भी उपलब्ध हो उस स्वरुप में देने का आदेश पारित करने की नम्र विनंती करता हु।

सुनवाई के दौरान प्राकट्य सुसंगत तथ्यः

प्रस्तुत वाद की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी।

अपीलकर्ताः श्री सचिन गडीकर सुनवाई के दौरान एनआईसी के बांद्रा ईस्ट स्टूडियो में उपस्थित हुए।

प्रतिवादी पक्षः श्री स्टानली एस. के. सीपीआईओ एनआईसी के बांद्रा ईस्ट स्टूडियो में उपस्थित थे।

7. अपीलकर्ता का कहना था कि उनके प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से अपेक्षित सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के प्रावधानों का हवाला देते हुए प्रदान नहीं की गयी है, जबकि 7(9) सूचना को इंकार करने का प्रावधान नहीं है। मांगी गयी जानकारी भी एक ही विषय से संबंधित है और आयोग द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में एक ही विषय के कई सूचना की मांग की जा सकती है। अपीलकर्ता का पुनः यह कहना था कि प्रतिवादी पक्ष की यह दलील कि अपेक्षित सूचना संकलित नहीं की गयी है, सही नहीं है, क्योंकि मांगी गयी सभी सूचना इलेक्ट्रानिक रूप में संग्रहित की गयी है। अपीलकर्ता की दलील थी कि अपने लिखित प्रतिवेदन में सीपीआईओ ने बताया है कि बार्क केन्द्र सरकार का एक बड़ा संगठन है, जिसमें 13,000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। लेकिन इन 13,000 कर्मचारियों में से अपीलकर्ता को केवल 4600 कर्मचारियों से संबंधित सूचना की ही आवश्यकता है। आयोग द्वारा पूछे जाने पर अपीलकर्ता ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण में ऐसी नियुक्तियों में डीओपीटी के दिशानिर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत सूचना की मांग की गयी है।

8. प्रतिवादी पक्ष की दलील थी कि अपीलकर्ता के आरटीआई आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन में बार्क के 17 राज्यों में कार्यरत्त अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या, उनके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण, उनके जाति प्रमाण पत्रों के राज्यस्तरीय एवं जिलास्तरीय सत्यापन, जांचोपरांत अवैध पाए गए प्रमाण पत्रों से संबंधित विवरण, उनके पदोन्नति, प्रदान किए

गए लाभों, रोकी गयी पदोन्नति के मामलों और अन्य प्रकार की बृहत सूचना की मांग की है। अपेक्षित कोई भी सूचना विशिष्ट नहीं है और यह संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है। इन्हें संकलित करने में श्रम एवं प्राधिकरण के संसाधनों का अपव्यय होगा और इनका संकलन संभव भी नहीं है। प्रतिवादी पक्ष की तदनन्तर यह दलील थी कि अपेक्षित सूचना के प्रकटन में कोई लोकहित भी अंतर्निहित नहीं है। अतः अपीलकर्ता को दिनांक 14.02.2025 को प्रेषित जवाब में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित सूचना को प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है।

निर्णय

9. संचिका में उपलब्ध तथ्यों तथा सुनवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी दलील के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के संदर्भ में सीपीआईओ ने दिनांक 14.02.2025 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को जवाब प्रेषित किया है, जिसमें उन्हें यह अवगत कराया गया है कि मांगी गयी जानकारी भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं है और इसके अतिरिक्त इस जानकारी के संग्रहण और संकलन में सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों का असंगत रूप में उपयोग होगा और इसलिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के अनुसार यह जानकारी प्रदान करना संभव नहीं है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की दलील है कि अपीलकर्ता ने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से बार्क के 17 राज्यों में कार्यरत्त अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या, उनके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण, उनके जाति प्रमाण पत्रों के राज्यस्तरीय एवं जिलास्तरीय सत्यापन, जांचोपरांत अवैध पाए गए प्रमाण पत्रों से संबंधित विवरण, उनके पदोन्नति, प्रदान किए गए लाभों, रोकी गयी पदोन्नति के मामलों और अन्य प्रकार की बृहत सूचना की मांग की है, जिसमें अपेक्षित कोई भी सूचना विशिष्ट नहीं है और यह संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है।

10. प्रस्तुत संदर्भ में यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि प्रथम तो अपीलकर्ता के प्रस्तुत आरटीआई आवेदन में शब्दों की सीमा *RTI Rules, 2012* में निर्धारित 500 शब्दों की सीमा के अनुसार नहीं है। दूसरे, आयोग प्रतिवादी पक्ष की इस दलील से सहमति प्रकट करता है कि अपीलकर्ता ने अपने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से प्राधिकरण के किसी संस्थान अथवा यूनिट विशेष से संबंधित किसी विशिष्ट सूचना की मांग नहीं की है, बल्कि मांगी गयी सूचना काफी बृहत एवं प्राधिकरण के विभिन्न राज्यों में स्थित संस्थानों, यूनिटों से संबंधित है, जिसका संकलन प्राधिकरण के संसाधनों को अननुपाती रूप में विचलित करेगा। आयोग की राय में यह सूचना के अधिकार का दुरूपयोग है,

क्योंकि केवल इस आशंका पर कि प्राधिकरण में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संदर्भ में डीओपीटी के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, अव्यवहारिक रूप में इतने बृहत सूचना की मांग की गयी है, जिसका पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों से कोई संबंध नहीं है।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में ऐसी सूचना जो विशिष्ट नहीं है और मांगे गए रूप में लोक प्राधिकारी द्वारा धारित नहीं है तथा ऐसी सूचना को संकलित कर वांछित रूप में उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के समय एवं श्रम का दुरूपयोग होता है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के प्रावधानों के अंतर्गत इसे प्रदान करने का निर्देश प्रतिवादी पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। तदनन्तर, प्रस्तुत संदर्भ में यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6454/2011 (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बनाम आदित्य बंधोपाध्याय एवं अन्य) में दिनांक 09.08.2011 को दिये गए अपने निर्णय में यह अधिकथित किया है,

> "*37. Indiscriminate and impractical demands or directions under RTI Act for disclosure of all and sundry information (unrelated to transparency and accountability in the functioning of public authorities and eradication of corruption) would be counter-productive as it will adversely affect the efficiency of the administration and result in the executive getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information. The Act should not be allowed to be misused or abused, to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility and harmony among its citizens. Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. The nation does not want a scenario where 75% of the staff of public authorities spends 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties. The threat of penalties under the RTI Act and the pressure of the authorities under the RTI Act should not lead to employees of a public authorities prioritising 'information furnishing', at the cost of their normal and regular duties.*"

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत संदर्भ में प्रतिवादी पक्ष को कोई भी निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

13. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

Sd/-
Raj Kumar Goyal (राज कुमार गोयल)
Chief Information Commissioner (मुख्य सूचना आयुक्त)

Authenticated true copy
(अभिप्रमाणित सत्यापित प्रति)

Bijendra Kumar (बिजेंद्र कुमार)
Dy. Registrar (उप-पंजीयक)
011-26186535